न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर

पीठासीन अधिकारीः– शंकर लाल सैनी, RAS
धार्मिक एन्यूटी प्रा0 पत्र सं0 07/2018

मंदिर श्री ठाकुर जी वाके ग्राम जयसिंहपुरा, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर जरिये पुजारीगण :–

1. गजानन्द पुत्र स्व0 श्री रामसहाय, जाति–ब्राम्हण, निवासी–ग्राम जयसिंहपुरा, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।
2. देवीसहाय पुत्र स्व0 श्री रामसहाय, जाति–ब्राम्हण, निवासी–ग्राम जयसिंहपुरा, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।
3. तोताराम पुत्र स्व0 श्री रामसहाय, जाति–ब्राम्हण, निवासी–ग्राम जयसिंहपुरा, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।
4. द्वारका प्रसाद पुत्र स्व0 श्री रामसहाय, जाति–ब्राम्हण, निवासी–ग्राम जयसिंहपुरा, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।
5. घनश्याम पुत्र स्व0 श्री रामसहाय, जाति–ब्राम्हण, निवासी–ग्राम जयसिंहपुरा, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।
6. केदार पुत्र स्व0 श्री रामकिशोर उर्फ किशोर, जाति–ब्राम्हण, निवासी–ग्राम जयसिंहपुरा, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।
7. भैरूराम पुत्र स्व0 श्री रामकिशोर उर्फ किशोर, जाति–ब्राम्हण, निवासी–ग्राम जयसिंहपुरा, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।
8. दुर्गा पुत्र स्व0 श्री रामकिशोर उर्फ किशोर, जाति–ब्राम्हण, निवासी–ग्राम जयसिंहपुरा, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।
9. शंकर पुत्र स्व0 श्री रामकिशोर उर्फ किशोर, जाति–ब्राम्हण, निवासी–ग्राम जयसिंहपुरा, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।
10. रमेश पुत्र स्व0 श्री रामकिशोर उर्फ किशोर, जाति–ब्राम्हण, निवासी–ग्राम जयसिंहपुरा, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।
11. नारायण पुत्र श्री सुजाराम, जाति–ब्राम्हण, निवासी–ग्राम जयसिंहपुरा, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।

प्रार्थीगण,

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सांगानेर, जिला–जयपुर।

अप्रार्थी,

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 सपठित राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुनर्ग्रहण नियम, 1954 बाबत् मंदिर श्री ठाकुर जी वाके ग्राम जयसिंहपुरा, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर)

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर जिला–जयपुर (राज.) सत्यमेव जयते

उपस्थितिः–
1. श्री रामावतार शर्मा, अभिभाषक, प्रार्थीगण की ओर से।
2. पैरोकार सरकार।

निर्णय दिनांक : 20.5.22

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत् मंदिर श्री ठाकुर जी वाके स्थित ग्राम जयसिंहपुरा, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर की एन्यूटी (भोग राशि)/वार्षिक वृति प्रार्थीगण के पक्ष में जारी करने के संबंध में पेश किया गया है।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कराया जाकर प्रकरण में तहसीलदार, सांगानेर से मंदिर की सेवा पूजा एवं भोगराग की राशि एन्यूटी पाने का जायज अधिकारी की सूचना प्राप्त की गई तथा प्रभारी अधिकारी, जागीर शाखा से प्रकरण से संबंधित मूल पत्रावली मय टिप्पणी के चाही गई एवं नोटिस अन्तर्गत नियम 39(3) राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण नियम, 1954 जारी किया गया है।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने कथन किया कि मंदिर श्री ठाकुर जी वाके स्थित ग्राम जयसिंहपुरा, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर की सेवा पूजा पूर्व में बतौर पुजारी के प्रार्थीगण के पूर्वज पुजारी श्री हीरालाल पुत्र श्री सालगराम करते चले आ रहे थे, एवं उनके स्वर्गवास के पश्चात् उक्त मंदिर की सेवा पूजा बहैसियत पुजारी ओसरेवास प्रार्थीगण सं0 1 लगा0 10, 1/2 हिस्से तथा 1/2 हिस्से में ओसरेवास प्रार्थी सं0 11 ओसरेवार कर रहे है। उक्त मंदिर के तत्कालीन पुजारी हीरालाल पुत्र श्री सालगराम शर्मा बहैसियत पुजारी रिकार्ड में दर्ज है एवं उनके पक्ष में एन्यूटी राशि प्राप्त करने हेतु प्रपत्र 12 (क) दिनांक 01.07.1963 एवं प्रपत्र 12(ख) दिनांक 12.03.1974 को जारी किया गया है। उक्त मंदिर की सम्पूर्ण भोग राशि 65.75/– रूपयें अक्षरें पैंसठ रूपयें पिच्हचतर पैसे तत्कालीन पुजारी हीरालाल अपने जीवनकाल तक प्राप्त किया करते थे। अविवाहित हीरालाल के स्वर्गवास के पश्चात् उनके कुटूम्ब के सदस्य होने के कारण प्रार्थीगण ओसरे अनुसार आपसी सहमति से मंदिर की सेवा–पूजा करते आ रहे है। जिसमें प्रार्थी सं0 1 लगा0 10 का 1/2 हिस्सा व प्रार्थी सं0 11 का 1/2 हिस्सा एन्यूटी राशि प्राप्त करने के कानूनी अधिकारी है। जिसके कारण उक्त मंदिर की एन्यूटी राशि (वार्षिक वृति) बहैसियत पुजारी हीरालाल के विधिक उत्तराधिकारी/ पुजारी होने के कारण प्राप्त करने के अधिकारी है।

अतः मंदिर श्री ठाकुर जी वाके स्थित ग्राम जयसिंहपुरा, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर की एन्यूटी राशि (वार्षिक वृत्ति) बहेसियत उत्तराधिकारी/पूजारी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णय पारित कर आदेश जारी करे।

प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में निम्न दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत की गई है :–

1. उप–कलक्टर (जागीर), जयपुर द्वारा जारी प्रपत्र 12 ए संख्या 409–11 दिनांक 21.08.1964 की प्रति।
2. जागीर कमिश्नर द्वारा जारी प्रपत्र 12 ख क्रमांक एफ.9 (961)एन्यूटी/ देव/7/66/जयपुर/2824 दिनांक 12.03.1974
3. मृत्यु प्रमाण पत्र श्री हीरालाल पुत्र श्री सालगराम मृत्यु दिनांक 18.09.2016
4. मृत्यु प्रमाण पत्र श्री रामकिशोर उर्फ किशोर पुत्र श्री सालगराम मृत्यु दिनांक 17.03.2018
5. मृत्यु प्रमाण पत्र श्री रामसहाय पुत्र श्री सालगराम शर्मा मृत्यु दिनांक 01.11.2003
6. पंजीकृत हक–त्याग पत्र एवं हक–त्याग के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र द्वारा श्रीमती शांती देवी, मीरा देवी, संज्या देवी, धापू देवी पुत्रियान् रामसहाय, मनभर देवी पुत्री सालगराम।
7. मृत्यु प्रमाण पत्र श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री रामकिशोर शर्मा मृत्यु दिनांक 29.09.2019

प्रभारी अधिकारी, जागीर शाखा से प्रकरण से संबंध में मूल पत्रावली प्राप्त करने हेतु पत्र लिखा गया था, जिसके संदर्भ में प्रभारी अधिकारी, जागीर शाखा द्वारा पत्रांक जागीर/2021/21 दिनांक 08.03.2021 द्वारा माफी मंदिर श्री ठाकुर जी वाके स्थित ग्राम जयसिंहपुरा, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर के संबंध में उनके कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड की प्रति संलग्न प्रेषित की गई है। जागीर रजिस्टर के क्रम सं0 135 पर मॉफी मंदिर श्री ठाकुर जी उत्तराधिकारी हीरालाल पुत्र सालगराम का नाम अंकित है। इस कार्यालय द्वारा नोटिस अन्तर्गत नियम 39(3) राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण नियम, 1954 संबंधित को जारी किये गये थे। निर्धारित अवधि के बाद भी किसी भी पक्ष की कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

पेरोकार सरकार उपस्थित। पेरोकार सरकार ने दौराने बहस तहसीलदार, सांगानेर से प्राप्त रिपोर्ट में अंकित बिन्दुओं के संबंध में सहमति व्यक्त करते हुए कथन किया कि पुजारी हीरालाल पुत्र सालगराम के निधन के बाद उनके उत्तराधिकारीगण ओसरे अनुसार मंदिर की सेवा पूजा करते आ रहे है। भोगराग की राशि एन्यूटी पाने का जायज वारिस एवं हकदार प्रार्थीगण है। श्रीमती शांती देवी, मीरा देवी, संज्या देवी, धापू देवी पुत्रियान् रामसहाय, मनभर देवी पुत्री सालगराम द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर एवं पंजीकृत हक–त्याग पत्र द्वारा उनके हिस्से का हक त्याग कर दिया गया है। रामकिशोर की पत्नी श्रीमती कमला फौत हो चुकी है। अतः रामकिशोर के पुत्रान् सहित प्रार्थीगण के पक्ष में एन्यूटी राशि स्वीकृत करने में उन्हे कोई एतराज नही है। निर्धारित एन्यूटी राशि प्रार्थीगण के पक्ष में स्वीकृत की जावें।

हमनें उभयपक्षों के कथन पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। प्रपत्र 12 ख हीरालाल पुत्र सालगराम के नाम से जारी था। हीरालाल अविवाहित फौत हो चुका है, जिसके कारण उनके पिता सालगराम के अन्य विधिक वारिसान को एन्यूटी राशि दिये जाने का प्रकरण विचाराधीन है। सालगराम के उत्तराधिकारी प्रार्थीगण सं0 1 लगा0 10 तथा प्रार्थी सं0 11 नारायण पुत्र सुजाराम है। स्व0 श्री सालगराम की मृत्यु होने पर उनके वारिसान द्वारा उनके कुटूम्ब के परिवारजन नारायण पुत्र सूजाराम के साथ यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रभारी अधिकारी, जागीर शाखा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार जागीर रजिस्टर में क्रम सं0 135 पर उक्त मंदिर श्री ठाकुर जी वाके स्थित ग्राम जयसिंहपुरा, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर का नाम अंकित है, जिनमें पुजारी का नाम हीरालाल पुत्र सालगराम अंकित है। प्रार्थीगण द्वारा अपने हिस्से की एन्यूटी के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। श्रीमती शांती देवी, मीरा देवी, संज्या देवी, धापू देवी पुत्रियान् रामसहाय, मनभर देवी पुत्री सालगराम द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर एवं पंजीकृत हक–त्याग पत्र द्वारा उनके हिस्से का हक त्याग कर दिया गया है। जिसकी पुष्टि तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में भी की गई है। सालगराम के अविवाहित पुत्र हीरालाल, पुत्री गुलाब देवी तथा मोहरी देवी एवं सूजी देवी की मृत्यु हो चुकी है। जबकि मनभर देवी पुत्री सालगराम द्वारा अपना हकत्याग कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त सालगराम के पुत्र रामसहाय की पत्नी का भी दिनांक 29.09.2019 को निधन हो चुका है, उनके पुत्र प्रार्थीगण सं0 6 लगा0 10 है। तहसीलदार, सांगानेर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट अनुसार मंदिर की सेवा पूजा प्रार्थीगण द्वारा ओसरेवार की जा रही है।

इस न्यायालय द्वारा नोटिस अन्तर्गत 39 (3) राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण नियम, 1954 जारी किया गया था। नोटिस के संबंध में 30 दिवस पश्चात् भी कोई आपत्ति इस न्यायालय को प्राप्त नही हुई है।

अतः उक्त विवेचनानुसार तहसीलदार, सांगानेर से प्राप्त रिपोर्ट के परिपेक्ष्य में तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार मंदिर श्री ठाकुर जी वाके स्थित ग्राम जयसिंहपुरा, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर की 65.75/– रूपयें (अंकेन पैसठ रूपयें पिच्हचतर पैसे) एन्यूटी राशि के लिए स्व0 श्री सालगराम के वारिसान गजानन्द, देवीसहाय, तोताराम, द्वारकाप्रसाद, घनश्याम पुत्रान् रामसहाय पुत्र स्व0 श्री सालगराम, कैदार, भैरूराम, दूर्गा, शंकर, रमेश पुत्रान् रामकिशोर पुत्र स्व0 श्री सालगराम को 1/2 हिस्से की एन्यूटी राशि प्राप्त करने का उत्तराधिकारी एवं नारायण पुत्र सुजा, जाति–ब्राम्हण, निवासी–जयसिंहपुरा, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर को 1/2 हिस्से की एन्यूटी राशि प्राप्त करने का उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20.4.22 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(शंकर लाल सैनी)
अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ),
जयपुर

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर जिला–जयपुर (राज.)
सत्यमेव जयते